न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00226 पायरा दिनांक : 08.07.2018

उनवान

बाबरू पुत्र देवा, जाति चमार, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0
मृतक –

1 बजरंग लाल पुत्र बाबरू, जाति चमार, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0
2 पप्पू पुत्र बाबरू, जाति चमार, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0
3 बालीबाई पुत्री बाबरू, पत्नी बजरंगलाल, जाति चमार, निवासी सिंघानिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0

.... अपीलांट

बनाम

1 बाला वल्द रत्तीराम उर्फ रतनलाल, जाति चमार, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0
2 दुर्गालाल वल्द मांगीलाल, जाति चमार, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0
3 प्रेमबाई पुत्री मांगीलाल, जाति चमार, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0
4 अमरीबाई पुत्री मांगीलाल, जाति चमार, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0
5 पप्पू पुत्र अमरलाल, जाति चमार, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0
6 दुर्गा पुत्र अमरलाल, जाति चमार, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0
7 भगवान पुत्र अमरलाल, जाति चमार, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0
8 भूलीबाई पुत्री अमरलाल, जाति चमार, निवासी दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेसपोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 29.07.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या 661/2014 निर्णय दिनांक 02.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बिलोनिया, पटवार हल्का सलोतिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड के माल में हस्व खेवट संख्या नया 42 पुरानी 44 जमाबंदी सम्वत 2068 लगायत 2071 के अनुसार प्रतिवादी नं. 2 लगायत 8 के पिता मांगीलाल व अमरलाल पुत्रगण भीमा के खाते आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा बारानी सोयम लगानी 6 रूपये 55 पैसे खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय

(ममता कुमारी तिवारी) 29/7/2024
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 02.06.2016 से वादी अपना वाद आपसी सहमति से वापस लेना चाहता है। वाद वापस लेने की अनुमति फरमावे। वादी का वाद राजीनामा स्वीकार करते हुए वाद डिक्री करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मातहत न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। अपीलांट के पिता देवलाल वल्द भंवरलाल को विवादित आराजी खसरा नं. 39 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा आवंटित हुई थी जिसका कब्जा देवलाल को मौके पर दिया गया, किन्तु सैटलमेंट कर्मचारियों ने विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर बाला वल्द रत्तीराम उर्फ रतनलाल का नाम दर्ज कर दिया। रतनलाल को रत्तीराम भी कहते हैं। रतनलाल उर्फ रत्तीराम को खसरा नम्बर 40 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा एलाट हुई थी। जिस कारण यह आराजी बाला वल्द रतनलाल के नाम से खाते दर्ज हुई। रेस्पोडेंट बाला ने विवादित आराजी को दिनांक 01.06.1993 को रेस्पोडेंट नं. 2 लगायत 8 के पिता मांगीलाल व अमरलाल पिसरान भीमा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेच दी तथा अपीलांट के 1/2 हिस्से को भी अपीलांट के स्थान पर देवा वल्द किशना चमार, निवासी दुर्गपुरा का फोटो व अंगूठा लगवाकर विक्रय कर दिया। विवादित आराजी पर अभी भी अपीलांट का ही कब्जा है। रेस्पोडेंट नं. 2 लगायत 8 का कब्जा खरीदने के बाद से खसरा नं. 40 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा पर है। जिस कारण अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के बीच न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत 2016 कैम्प सलोतिया में उक्त विवादित आराजी खसरा नं. 39 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा को वादी के खाते घोषित कराने बाबत राजीनामा हुआ किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर दावा खारिज कर कानूनी त्रुटि की है। जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 31.01.2018 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार देवलाल वल्द भंवरलाल को विवादित आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा आंवटित हुई थी। जिसका कब्जा देवलाल को मौके पर दिया गया। सेटलमेंट के बाद रतनलाल उर्फ रत्तीराम वल्द देवीलाल को खसरा नम्बर 40 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा आवंटन हुई थी जिस कारण यह आराजी बाला वल्द रतनलाल के नाम खाते में दर्ज हुई। उक्त आराजी के 1/2 हिस्से को रेस्पोडेंट बाला ने रेस्पोडेंट नं. 2 लगायत 8 के पिता मांगीलाल व अमरलाल पिसरान भीमा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेच दी तथा अपीलांट के 1/2 हिस्से को भी अपीलांट के स्थान पर देवा वल्द किशना जाति चमार, निवासी दुर्गपुरा का फोटो व अंगूठा लगाकर विक्रय कर दी। पक्षकारान ने पत्रावली लोक अदालत में रखकर पक्षकारान के आपसी राजीनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की

(ममता कुमारी तिवारी) 7/2024
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषका अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपील मेमों में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर दावा खारिज कर त्रुटि की है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में लिखित में राजीनामा नहीं हुआ जबकि राजीनामा लिखित में पेश होना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.06.2016 के अनुसार "वादी राजीनामे के आधार अपनी सहमति से अपना वाद विड्रो करना चाहता है जिसकी अनुमति प्रदान की गयी।" इस आदेशिका में अन्य पक्षकारान के साथ बाबरू (अपीलांट) की अंगूठा निशानी भी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजीनामा दिनांक 02.06.2016 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार "हम पक्षकारान के मध्य आपस में विवादग्रस्त आराजी को लेकर जो विवाद दर्ज है आपसी समझाइश से समाप्त कर लिया है वादी अपना वाद आपसी सहमति से वापस लेना चाहते हैं।"

उक्त राजीनामे पर प्रतिवादीगण के साथ वादी अपीलांट बाबरू की अंगूठा निशानी है। अपीलांट ने उक्त राजीनामे पर अपनी अंगूठा निशानी होने से इंकार नहीं किया है। इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि अपीलांट उक्त राजीनामा करना स्वीकार करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में वाद वापस लेने बाबत राजीनामा हुआ है जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वापस लेने की स्वीकृति प्रदान कर वाद का निस्तारण करने में कोई त्रुटि नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी विबंध के सिद्धांत (Principle of estoppel) से बाध्य है अर्थात् वह अपने द्वारा किये गये राजीनामे से बाध्य है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय पूर्णतः उचित व विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा